

प्रेस रिलीज

13 जनवरी 2020
नई दिल्ली

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नागरिक अधिकारों की रक्षा के अपने संघर्ष में सभी भारतीय नागरिकों के साथ आखिर दम तक खड़ा रहेगा

विभाजनकारी व संविधान विरोधी कानून सीएए-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ देश भर में होने वाले सभी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के केंद्रीय सचिवालय ने अपने समर्थन की बात दोहराई है। सचिवालय की बैठक ने संविधान द्वारा दिए गए नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सभी नागरिकों के साथ खड़े रहने और नए-पुराने आरोपों के द्वारा संगठन को दबाने की तमाम कोशिशों को शिकस्त देने की अपनी प्रतिबद्धता का एक बार फिर इजहार किया है। साथ ही संगठन ने देश भर में जारी प्रदर्शनों में छात्रों, शिक्षण संस्थानों और समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय मौजूदगी को भी सराहा है।

पॉपुलर फ्रंट ने शुरू से ही नागरिकता के अधिकार और हर तरह के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई का साथ दिया है, क्योंकि सरकारी एजेंसियां और साम्प्रदायिक व फासीवादी समूह इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ने इस बात की पहचान की है कि आरएसएस समाज और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। संगठन ने इसके बारे में विभिन्न लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं और लोगों को जागरूक भी किया है। सिर्फ इसी लिए सरकार संगठन को बदनाम कर रही है। बीजेपी सरकार अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके इन प्रदर्शनों का रूख फेरना, इसे कमजोर और तबाह करना चाहती है। इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूरे देश में होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही हिंसक हुए, जो कई मौतों और तबाही का कारण बने। यूपी में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के लोगों और हिंदुत्व समूहों ने हिंसा का रास्ता अपनाया और यौन हमले भी किये, जिसे पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए अपना दामन साफ करने के लिए उन्होंने पूरा आरोप प्रदर्शनकारियों और कुछ संगठनों पर डालना जरूरी समझा।

हर कोई जानता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लेने और समर्थन के बावजूद, पॉपुलर फ्रंट का प्रदर्शनों में हुई किसी भी तथाकथित हिंसक घटनाओं में कोई रोल नहीं है। पुलिस या कुछ बीजेपी नेताओं जिनमें यूपी, असम और कर्नाटक के कुछ मंत्री भी शामिल हैं, यह आरोप लगाया कि हिंसा भड़काने में पॉपुलर फ्रंट का हाथ है, यहां तक कि उन्होंने संगठन को "मास्टरमाइंड" तक कह दिया, लेकिन कोई भी अपने दावे को साबित करने के लिए एक भी सबूत पेश नहीं कर सका। यूपी पुलिस गिरफ्तार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जमानत देने के न्यायिक आदेश का पालन भी नहीं कर रही है और उन्हें जान-बूझकर नई आपराधिक धाराओं में फंसाकर जेलों में रखा गया है।

बैठक ने इस बात पर अपनी निराशा जताई कि मीडिया का एक वर्ग आंदोलन को बदनाम करने के अभियान में शामिल है, हालांकि वह इस मामले में बीजेपी के खुफिया एजेंडे को अच्छी तरह जानता है। केंद्रीय सचिवालय ने याद दिलाते हुए कहा कि आरएसएस की मातहत केंद्र एवं राज्य सरकारों को हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ इस अवांमि बगावत को दबाने और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे फासीवाद विरोधी जनआंदोलन को रोकने की कोशिश में मुंह की खानी पड़ेगी।

नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इसी महीने विचार कर सकती है, लेकिन सरकार ने देश भर में इस कानून के खिलाफ लोगों के आक्रोश पर ज़रा भी ध्यान दिये बिना, बड़ी जल्दबाज़ी में कानून को लागू कर दिया। पॉपुलर फ्रंट की केंद्रीय सचिवालय ने कहा कि एक बार फिर यह साबित हो गया है कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध के प्रति बहुत ज़्यादा अहंकार में है और न्यायपालिका के लिए उसके अंदर कोई सम्मान नहीं है।

बैठक ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एनपीआर) हर दस वर्ष पर होने वाली जनगणना का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे नागरिकता के नियमों के आधार पर लाया जा रहा है। मौजूदा कोशिश केवल एनपीआर का नया राउंड नहीं है, जो पहले 2010 में किया गया और 2015 में जिसे अपडेट किया गया। बुद्धिजीवि यह आशंका भी जता रहे हैं कि वेबसाइट पर मौजूद और सर्वे करने वालों को बताई गई बातें आपस में काफी टकराती हैं। दरअसल बीजेपी सरकार ने इसे एनआरसी की बुनियाद और शुरुआत के तौर पर तैयार किया है। पॉपुलर फ्रंट सीएए और एनआरसी के साथ-साथ एनपीआर को भी रद्द करने की अपील करता है।

बैठक ने इस ओर इशारा किया हमारे संविधान द्वारा दिये गए विरोध जताने के अधिकार को हमें संयुक्त प्रयास से बचाने की आवश्यकता है। पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करने के अभियान और उसे निशाना बनाने की कोशिश देश की सभी विरोध की लोकतांत्रिक आवाज़ों के लिए एक चेतावनी है। पॉपुलर फ्रंट सभी सेक्युलर, लोकतांत्रिक एवं नागरिक अधिकार समूहों से अपील करता है कि वे बदनाम करने के जारी अभियान और दमनकारी कार्यवाहियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं।

केंद्रीय सचिवालय ने समस्त भारत में ज़मीनी स्तर पर 10000 जन-जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन का फैसला लिया है। पॉपुलर फ्रंट की यूनिटें घर-घर जाकर सीएए-एनआरसी-एनपीआर के पीछे के साम्प्रदायिक एवं विभाजनकारी उद्देश्य के बारे में लोगों को बताएंगी।

एम. मोहम्मद अली जिन्ना

महासचिव,

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली